न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 40/2024

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री दिलबाग सिंह, मैसर्स अजीज अफेसर, प्लॉट नम्बर 3, चन्द्र प्रभु नगर, भैंरूवाड़ा के पास, माकड़वाली, अजमेर।
2. मैसर्स अजीज अफेसर, प्लॉट नम्बर 3, चन्द्र प्रभु नगर, भैंरूवाड़ा के पास, माकड़वाली, अजमेर।

........*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (II)(V)एवं धारा 51के तहत

अभिभाषक : श्री दीपक गुप्ता, श्री विवेक सांखला

—: आदेश :—

दिनांक—29.08.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क—4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) दही का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II)का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, मौका फर्द, प्रपत्र 5ए, कैश मीमो, प्रपत्र 6 की जमा करवाने की प्रति, विक्रेता को दिया गया नोटिस, जाँच रिपोर्ट, विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दस्स्तावेज, अभियोजन स्वीकृति बाबत पत्र, अभियोजन स्वीकृत पत्र की प्रतियाँ संलग्न कर प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.05.2024 को 04:00 पीएम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारीमैसर्स लजीज अफेसर, प्लॉट नम्बर 3, चन्द्र प्रभु नगर, भैंरूवाड़ा के पास, माकड़वाली, अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री कुलदीप सिंह मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगने पर उसने प्रस्तुत किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय 10 किलोग्राम दही आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ मिला।उक्त दही की गुणवत्ता में कमी होने का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच 800 ग्राम दही 80/— रूपयें श्री कुलदीप सिंह को नगद देकर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

गवाह श्री केसरी नन्दन शर्मा के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री कुलदीप सिंह को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा दही को विक्रेता के सामने चार साफ खुली प्लास्टिक बोतल में बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक बोतल में 16–16 बूंद फार्मेलीन की डालकर प्रत्येक बोतल पर लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारीअजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए–4323 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/3334 दिनांक 04.06.2024के संलग्न प्राप्त खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/695/एक्ट/2024/633दिनांक 29.05.2024के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया दही अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। विक्रेता द्वारा पुनः अपील नहीं की गयी।इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 07.11.2024 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 07.11.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी को वकील अप्रार्थी ने उपस्थित होकर लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया एवं बहस का निवेदन किया। उनकी बहस सुनी गयी। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि परिवाद में वर्णित कथन असत्य होने के कारण अस्वीकार है, यह कथन गलत है कि वास्ते नमूना जाँच हेतु क्रय किया गया दही वेन्डर को 60/– रूपये नकद देकर क्रय किया गया, यह कथन भी गलत है कि मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर वेण्डर को पढ़कर/सुनाकर हस्ताक्षर करवाये गये। यह कथन भी गलत है कि आवेदक को न्यायिक निर्णयन आवेदन ट्रायल करने के लिए अधिकृत किया गया हो। आवेदक ने अपने परिवाद में नमूना लेते समय सबस्टेण्डर्ड होने का कोई अंकन अपनी रिपोर्ट में नहीं किया है, किसी भी स्वतन्त्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं कराये गये है, नमूना क्रय करते समय दी गयी राशि किन नोट के रूप में दी गयी, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त राशि कार्यालय या राजकोष में जमा करवाये जाने का साक्ष्य भी परिवाद के साथ नही दिया गया है, नमूना लेने के बाद शेष रहे दही का क्या किया गया, इसका उल्लेख भी नंहीं किया गया है। यदि नष्टीकरण किया गया है तो इसकी फर्द रिपोर्ट संलग्न नही है। उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर वकील अप्रार्थी ने परिवाद ने परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद को निरस्त करने का निवेदन किया है।

हमने लिखित प्रत्युत्तर, पत्रावली एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद का अवलोकन किया एवं बहस में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया दही अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया दही अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

न्याय निर्णायक अधिकारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्यपदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर रु.**20,000/–(बीस हजार)**शास्ति आरोपित की जाती है।
अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 29.08.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

दिनांक :

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर।
4. श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री दिलबाग सिंह, मैसर्स अजीज अफेसर, प्लॉट नम्बर 3, चन्द्र प्रभु नगर, भैंरूवाड़ा के पास, माकड़वाली, अजमेर।
5. मैसर्स अजीज अफेसर, प्लॉट नम्बर 3, चन्द्र प्रभु नगर, भैंरूवाड़ा के पास, माकड़वाली, अजमेर।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर